उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-78/2015/2198/30-3-15-06बी/2014-1
लखनऊ, दिनॉक 21 सितम्बर, 2015

संशोधन/शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 में अन्तर्लेखा संक्रमण द्वारा जमा किये जाने हेतु लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-797-आरक्षित निधियां/जमा लेखों का अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण में प्रावधानित धनराशि रू0 25.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश संख्या-73/2015/1124/30-3-15-06बी/2014-1, दिनॉक 21-08-2015 द्वारा जारी की गयी है, जिसमें टंकण त्रुटिवश "आयोजनागत पक्ष" के स्थान पर "आयोजनेत्तर पक्ष" का उल्लेख हो गया है। वस्तुत: उक्त धनराशि "आयोजनागत पक्ष" में प्रावधानित है।

2- अत: उक्त शासनादेश में उल्लिखित "आयोजनेत्तर पक्ष" के स्थान पर "आयोजनागत पक्ष" पढ़ा जाये। तदनुसार शासनादेश संख्या-73/2015/1124/30-3-15-06बी/2014-1, दिनॉक 21-08-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 78/2015/2198(1)/30-3-2015, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गृह (पुलिस) अनुभाग-2
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।